अपीलें और सुनवाईयां

स्तर 1

प्रारंभिक निर्धारण की अपील करना

रोजगार सुरक्षा क़ानून के तहत आपको अपने अधिकारों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी।यह पुस्तिका बेरोजगारी बीमा लाभ प्राप्त करने के लिए योग्यता और पात्रता के बारे में प्रारंभिक निर्धारण की अपील करने की प्रक्रिया की व्याख्या करती है। निम्न प्राधिकारी अपील (स्तर 1) की साक्ष्य सुनवाई North Carolina वाणिज्य विभाग, रोजगार सुरक्षा डिवीजन (DES) के अपील अनुभाग में अपील रेफ़री द्वारा आयोजित की जाती हैं।

पूर्व DES कर्मचारियों, UI लाभों की मौद्रिक पात्रता, दावेदार और नियोक्ता के बीच कानूनी संबंध, या नियोक्ता की कर देयता स्थिति से सम्बंधित सुनवाई North Carolina वाणिज्य विभाग, समीक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित की जाती है।

30 जून, 2013 को या उसके बाद दायर दावों के लिए, दावेदार किसी भी फैसले जिसे बाद में अपील होने पर उलट दिया जाता है, के परिणामस्वरूप उत्पन्न लाभों के अतिदेय भुगतान के पुनर्भुगतान के अधीन हैं। N.C. Gen. Stat. § 96-18(g)(2).

आमतौर पर सुनवाई ही, मामले जिसमें अपील की गई है, के बारे में सभी जानकारी देने का एकमात्र मौका होता है। अपील के बारे में और अधिक "अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न" (FAQs) के लिए, DES की वेबसाइट www.des.nc.gov पर जाएं।

आप इस ब्रोशर की स्पेनिश भाषा में एक प्रति North Carolina वाणिज्य विभाग के बेरोजगारी प्रभाग के कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।

मैं कहां और कैसे अपील कर सकता हूं?

निर्धारण मुद्दे के आधार पर, DES की विभिन्न कार्य इकाइयों में किए जाते हैं। प्रत्येक निर्धारण में याचिका दायर करने के निर्देश दिए होते हैं। आपको अपनी याचिका निर्धारण में प्रदान किए गए पते पर और निर्धारण में शामिल निर्देशों के अनुसार दायर करनी चाहिए।

मेरी याचिका किस तारीख तक दायर कर दी जानी चाहिए?

निर्धारण आपको अपनी याचिका दायर करने की समय सीमा बताएगा। जिस दस्तावेज़ के बारे में आप याचिका दायर कर रहे हैं, उसमें अंकित तिथि आपकी समय सीमा को नियंत्रित करती है। यदि याचिका दायर करने की अंतिम तिथि सप्ताहांत या कानूनी अवकाश के दिन पर पड़ती है, तो याचिका की अवधि अगले कार्य दिवस पर समाप्त होती है।

अगर मैं किसी निर्धारण जो मेरे पक्ष में नहीं है, की याचिका दायर करता हूं तो मुझे क्या कहना चाहिए?

DES यह नहीं बता सकता कि अपनी याचिका में आपको क्या कहना है हालांकि, आपकी याचिका लिखित में होनी चाहिए। याचिका दायर करने के लिए कोई विशेष प्रारूप नहीं है। आप को याचिका दायर करने की अपनी इच्छा बताना और निर्धारण से असहमति के अपने कारणों का विवरण देना चाहिए। जिस निर्धारण के बारे में याचिका प्रस्तुत की जा रही है उसकी डाकेट या वाद पहचान संख्या, दावेदार की पहचान संख्या, दावेदार और नियोक्ता के नाम, अपील दायर करने वाले व्यक्ति का नाम, पक्षकार की ओर से याचिका दायर करने वाले व्यक्ति की आधिकारिक स्थिति, और एक टेलीफोन नंबर शामिल करें।

यदि मैं एक प्रारंभिक निर्धारण के बारे में याचिका दायर करता हूं तो क्या होगा?

DES आपकी याचिका पर सुनवाई का कार्यक्रम निर्धारित करेगा। आपको सुनवाई की एक सूचना प्रदान की जाएगी, जिसमें तारीख, समय, नामित अपील रेफ़री का संपर्क और निर्णय किए जाने वाले मुद्दे का विवरण शामिल होगा।

क्या मुझे प्रारंभिक निर्धारण के बारे में याचिका दायर करने के लिए कानूनी प्रतिनिधित्व की आवश्यकता है?

आप कर सकते हैं, लेकिन प्रशासनिक सुनवाई में कानूनी प्रतिनिधित्व की आवश्यकता नहीं होती है। दावेदार या नियोक्ता स्वयं ही याचिका दायर कर सकते हैं और प्रशासनिक याचिका की पूरी प्रक्रिया में खुद (स्वयं), या एक कानूनी प्रतिनिधि उनका प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। कानूनी प्रतिनिधियों को सुनवाई से पहले नियुक्त किया जाना चाहिए।

कानूनी प्रतिनिधि कौन हो सकता है?

एक कानूनी प्रतिनिधि N.C. Gen. Stat. § 96-17(b) के अनुसार एक लाइसेंस प्राप्त वकील, या लाइसेंस प्राप्त वकील की निगरानी में रहने वाला कोई व्यक्ति होना चाहिए।

मुझे एक वकील कहां मिल सकता है?

आप North Carolina बार एसोसिएशन की वकील रेफरल सेवा को (800) 662-7660 पर, North Carolina की कानूनी सहायता को (866) 219-5262 पर काल कर सकते हैं, या अपनी

स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका में खोज सकते हैं।

क्या मुझे DES को बताना होगा कि मेरा एक कानूनी प्रतिनिधि है?

हाँ। प्रतिनिधित्व की सूचना या प्रमाणन लिखित रूप में होनी चाहिए और आधिकारिक सुनवाई रिकॉर्ड का हिस्सा बनने के लिए अपील रेफ़री को प्रदान किया जाना चाहिए।

एक दावेदार के रूप में, अगर मेरा डाक या ईमेल पता बदल गया है तो मुझे क्या करना चाहिए?

DES सभी पत्राचार आमतौर पर आपके अंतिम ज्ञात पते पर भेजता है। पते में किसी भी परिवर्तन के प्रभावी होने की तिथि के 7 दिनों के भीतर आपको लिखित रूप में DES को सूचित करना होगा। आपको अपने नए पते की सूचना Post Office Box 25903, Raleigh, NC 27611पर; फैक्स न. (9 1 9) 250-4315 पर, या des.us.customerservice@nccommerce.com पर ईमेल कर ग्राहक कॉल सेंटर को भेजनी होगी। आप अपना पता SCUBI में अपडेट भी कर सकते हैं। "अंतिम ज्ञात पता" का अर्थ है आपके द्वारा DES को सबसे हाल में दिया गया पता। DES अपने रिकॉर्ड के पते का अपडेट संयुक्त राज्य डाक सेवा (USPS) नेशनल चेंज ऑफ एड्रेस (NCOA) डेटाबेस से प्राप्त करता है। यदि DES के अभिलेख में आपका अंतिम ज्ञात पता NCOA डाटाबेस में करदाता के नाम और पिछले डाक पता से मेल खाता है, तो NCOA डाटाबेस में नया पता आपका अंतिम ज्ञात पता है। यदि आप इलेक्ट्रॉनिक प्रसारण द्वारा DES से संचार प्राप्त करने का चुनाव करते हैं, तो आप DES को एक मौजूदा, वैध ईमेल पता प्रदान करने और बनाए रखने के लिए ज़िम्मेदार हैं। यदि आपकी एक याचिका लंबित है, तो कृपया अपनी याचिका पर कार्यवाही करने वाले अनुभाग को सूचित करें।

एक नियोक्ता के रूप में, यदि मेरा पता या ईमेल पता बदल गया है तो मुझे क्या करना चाहिए?

पते में किसी भी परिवर्तन के प्रभावी होने की तिथि के 7 दिनों के भीतर आपको लिखित रूप में DES को सूचित करना होगा। नियोक्ता को अपने नए पते की सूचना Attn: Address Change, Post Office Box 26504, Raleigh, North Carolina, 27611पर; फैक्स न. (919) 715-7194 पर, या des.us.customerservice@nccommerce.com पर ईमेल कर DES के कर प्रशासन अनुभाग को भेजनी होगी। यदि आपकी एक याचिका लंबित है, तो कृपया अपनी याचिका पर कार्यवाही करने वाले अनुभाग को सूचित करें।

अगर कोई मुझे निर्धारण में दी गई जानकारी से अलग किसी तरीके से याचिका दायर करने के लिए कहता है तो मुझे क्या करना चाहिए?

आप अपने निर्धारण के साथ दिए गए लिखित निर्देशों का पालन करने के लिए जिम्मेदार हैं।

यदि मुझे DES से मिले दस्तावेज एक-दूसरे से टकराते हैं तो मुझे क्या करना चाहिए?

प्रत्येक दस्तावेज़ को ध्यान से पढ़ें, और तुरंत DES से संपर्क करें। DES के संपर्क नंबरों को दस्तावेजों के साथ प्रदान किया जाएगा या आप इस आधार पर कि आप दावेदार हैं या नियोक्ता हैं, इस पुस्तिका के पैनल 8 पर सूचीबद्ध मुख्य नंबर पर कॉल कर सकते हैं। दस्तावेजों को अपने साथ रखें जिससे आप एक प्रतिनिधि को उन्हें दिखा सकें या उनका वर्णन कर सकें। यह न मान लें कि सबसे हाल के दस्तावेज़ पहले के पत्राचार में शामिल जानकारी को रद्द करते हैं। DES के साथ अपने संपर्क के नोट्स रखें।

अगर मेरी सूचना कहती है कि सुनवाई टेलीफोन कान्फ्रेंस कॉल द्वारा आयोजित की जाएगी, तो मैं सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से कैसे शामिल हो सकता हूं?

याचिका दायर करते समय या अपनी सुनवाई के नोटिस में सूचीबद्ध अपील रेफरी के पास लिखित अनुरोध दाखिल कर आप व्यक्तिगत सुनवाई का अनुरोध कर सकते हैं। व्यक्तिगत सुनवाई पूरे राज्य में स्थित स्थानीय कार्यबल सॉल्यूशन डिवीजन (DWS) या सार्वजनिक रोजगार कार्यालयों में आयोजित की जाती है।

सुनवाई में क्या होगा?

अपील रेफरी सुनवाई के अध्यक्ष होंगे, प्रत्येक उपस्थित व्यक्ति की पहचान करेंगे, और सुनवाई के उद्देश्य की व्याख्या करेंगे। प्रश्न पूछने के अलावा, अपील रेफरी साक्ष्य की पहचान और उसे स्वीकृति प्रदान भी करेंगे तथा प्रस्तावों और आपत्तियों पर निर्णय भी लेंगे। आप और आपके गवाहों को गवाही देने, साक्ष्यों की पेशकश करने और दूसरे पक्ष द्वारा दिए गए किसी साक्ष्य या गवाही के बारे में सवाल पूछने की अनुमति दी जाएगी।

अगर मैं सुनवाई के लिए निर्धारित समय पर उपस्थित नहीं हो सकता, तो क्या मैं तारीख और / या समय बदल सकता हूं?

शायद। सुनवाई को फिर से निर्धारित करने के लिए, आपको अपील रेफ़री से संपर्क करना और अनुरोध के लिए विशिष्ट कारण बताना चाहिए। सुनवाई को फिर से आयोजित करने के लिए आपको कानूनी तौर पर पर्याप्त कारण दर्शाना होगा। अपने कारणों के समर्थन के लिए दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए तैयार रहें। अनुरोध या तो स्वीकार किया जाएगा या अस्वीकार किया जाएगा। अपील रेफरी, सुनवाई के पुनरीक्षण के अनुरोध को स्वीकृति क्यों दे सकते हैं, इसके कुछ कारणों में एक पक्षकार की बीमारी, निकट परिवारिक सदस्य की मृत्यु, अनुवादक की जरुरत, ज्यूरी कर्तव्य और सक्रिय सैन्य कर्तव्य शामिल हैं। अगर सुनवाई की तारीख तक आपके अनुरोध पर कोई जवाब नहीं आता है, तो आपको सुनवाई में उपस्थित होने के लिए तैयार रहना चाहिए।

अगर मैं सुनवाई में उपस्थित नहीं होता तो क्या होगा?

यदि आपने निर्धारण की अपील की है, तो आपकी याचिका खारिज कर दी जाएगी। यदि आप याचक पक्षकार नहीं हैं, और आप उपस्थित नहीं होते हैं, तो सुनवाई आपके बिना आयोजित होगी। अपील रेफरी सुनवाई के दौरान पक्षकार द्वारा दिए गए सबूतों के आधार पर निर्णय लेगा। आपको सुनवाई में शामिल होना चाहिए, भले ही निर्धारण आपके पक्ष में था।

सुनवाई के लिए तैयार होने के लिए मुझे क्या करना चाहिए?

सुनवाई के नोटिस को ध्यान से पढ़ें। सुनवाई के नोटिस के साथ आए सभी दस्तावेज पढ़ें। इससे आपको यह फैसला करने में मदद मिलेगी कि सुनवाई में कौन से गवाहों को गवाही

देना चाहिए। सभी दस्तावेज, रिकॉर्डिंगों, और अन्य साक्ष्य जो आपके मामले का समर्थन करते हैं को इकट्ठा करें। अगर सुनवाई फोन द्वारा आयोजित की जाएगी, तो आपको सुनवाई की तारीख से पहले अपील रैफरी और प्रत्येक पक्ष को अपने सबूत की प्रतियां भी प्रदान करनी चाहिए। व्यक्तिगत सुनवाई के लिए, प्रत्येक पक्ष और अपील रेफरी को देने के लिए पर्याप्त प्रतियां बनाएं। अगर आप अन्य पक्ष और अपील रेफरी को प्रतियां नहीं देते हैं, तो अपील रेफरी मामले में निर्णय लेने के दौरान उस सबूत को ध्यान में नहीं रख सकते। अपने गवाहों को चुनें और उनके सुनवाई के लिए उपलब्ध होने का प्रबंध करें। टेलीफोन द्वारा सुनवाई के लिए, अपील रेफरी से संपर्क करके, या आपके सुनवाई के नोटिस के साथ आए, टेलीफोन सुनवाई प्रश्नावली को भर कर और वापस करके, अपने गवाहों के नाम और फोन नंबर प्रदान करें।

सुनवाई में मुझे क्या साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहिए?

प्रत्यक्षदर्शी और प्रत्यक्ष गवाही हमेशा सबसे अच्छा सबूत होता है। प्रत्यक्ष गवाही में ऐसे गवाह शामिल होते हैं जिन्होंने जो कहा या किया गया था उसे स्वयं ही सूंघा, महसूस किया, देखा या सुना था। यदि कथित क्रियाकलाप की एक रिकॉर्डिंग उपलब्ध है, तो रिकॉर्डिंग सबसे अच्छा सबूत है, एक रिकॉर्डिंग जिसे साक्ष्य के रूप में पेश नहीं किया गया है उसमें जो देखा या सुना गया है उसके बारे में एक गवाह की गवाही, सबूत नहीं है। अगर कोई ऐसा कोई आरोप है जिसमें कोई पक्षकार दस्तावेज पर हस्ताक्षर करता है या लिखित रूप में कुछ लिखा जाता है, जिसे आप मानते हैं कि मामले के लिए प्रासंगिक है, तो आप इस सबूत को प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन आपको अपील रेफ़री और अन्य पक्ष को दस्तावेजों की एक प्रति प्रदान करनी होगी।

अगर मैं एक गवाह को सुनवाई में स्वेच्छा से गवाही देने के लिए कहता हूं, या मेरे मामले से संबंधित दस्तावेज या रिकॉर्डिंग प्रदान करने के लिए कहता हूं, और गवाह ने मना कर दिया, तो गवाह को कैसे मनाया जाए?

आपको अपनी सुनवाई की नोटिस में सूचीबद्ध अपील रैफरी से संपर्क करना चाहिए और गवाह और / या अन्य साक्ष्य के लिए एक सम्मन जारी करने का अनुरोध करना चाहिए। सम्मन अनुरोधों को लिखित रूप में होना चाहिए और 04 N.C. Admin. Code 24C .0401 का अनुपालन करना चाहिए।

क्या ड्रग या अल्कोहल परीक्षण के परिणाम के कारण रोजगार से हटाने के मामलों के लिए विशेष औपचारिकताएं होती हैं?

हाँ। किसी भी परीक्षण और उसके परिणामों को साबित करने या उसे खारिज करने के लिए साक्ष्य होना चाहिए। साक्ष्य में काम के नियम और / या नीतियों को भी शामिल करना चाहिए। नियंत्रित पदार्थ परीक्षण विनियमन अधिनियम (CSERA), N.C. Gen. Stat. 95 §§ 230-235 के लिए आवश्यक है कि जब तक कि परीक्षण का संचालन यू.एस. डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन या न्यूक्लियर रेगुलेटरी कमीशन द्वारा नहीं किया गया था, परीक्षण इसकी प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं का अनुपालन करें। एक नियोक्ता को स्थापित करना चाहिए: (1) कि एक कर्मचारी का एक नियंत्रित पदार्थ के लिए सकारात्मक परीक्षण हुआ था; (2) ड्रग -परीक्षण नमूने की हिरासत की श्रृंखला; (3) नियंत्रित पदार्थ परीक्षा की विश्वसनीयता; और (4) कर्मचारी ने नियोक्ता की नीति का उल्लंघन वास्तव में कैसे किया था? सुनवाई में एक प्रयोगशाला प्रतिनिधि की प्रत्यक्ष गवाही की बजाय, नियंत्रित पदार्थ परीक्षा परिणाम, हिरासत की श्रृंखला और लागू परीक्षण के अनुपालन और कानून द्वारा आवश्यक पुनरीक्षण के लिए प्रयोगशाला के अधिकृत प्रतिनिधि का हलफनामा प्रस्तुत किया जा सकता है। यदि कोई नियोक्ता CSERA का अनुपालन प्रदर्शित करता है, तो नियंत्रित पदार्थ परीक्षा का सकारात्मक परिणाम काम से जुड़ा गैरकानूनी व्यवहार का गठन करता है। इसी प्रकार, किसी कर्मचारी द्वारा किसी उचित कारण के बिना, एक उचित और विधिवत लागू दवा परीक्षण नीति का अनुपालन करने से इनकार करने से, दुराचार का गठन होता है। एक नियंत्रित पदार्थ परीक्षण और वैधानिक या विनियामक प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं के अनुपालन का परिणाम साबित प्रतीत हो सकते हैं यदि दावेदार सुनवाई के दौरान या हलफनामा के द्वारा उनको स्वीकार या निर्दिष्ट करता है। N.C. Gen. Stat. § 96-14.6 देखें।

जब तक सभी याचिकाओं पर निर्णय नहीं हो जाता, तब तक क्या मैं लाभों के दावों को दायर करना जारी रख सकता हूँ?

हाँ। यदि आप बेरोजगार हैं, तो जब तक कि सभी याचिकाओं का निर्णय नहीं हो जाता, आपको अपना साप्ताहिक प्रमाणीकरण दायर कराते करना चाहिए। जिन हफ्तों का दावा नहीं दायर हुआ होगा उनके लिए लाभ का भुगतान नहीं किया जाएगा। N.C. Gen. Stat. §§ 96-14.9 और 96-15(b)(2) देखें।

सुनवाई से पहले मेरे कुछ प्रश्न होने पर मुझे उत्तर कहाँ मिलेगा?

आप www.Des.nc.gov पर DES वेबसाइट के "अकसर पूछे जाने वाले प्रश्न" अनुभाग पर जा कर, North Carolina प्रशासनिक संहिता के शीर्षक 4, अध्याय 24 को ऑनलाइन देख सकते हैं, या अपनी याचिका सुनवाई नोटिस में सूचीबद्ध अपील रेफ़री से संपर्क कर सकते हैं। अपील रेफ़री मामले के तथ्यों, कहानी का आपका पक्ष या इस मामले के नतीजे पर चर्चा नहीं कर सकते हैं। मामले के तथ्यों के बारे में चर्चा के लिए प्रत्येक पक्ष को उपस्थित होना चाहिए। अपील रेफरी केवल सुनवाई प्रक्रियाओं के बारे में सवालों के ही जवाब दे सकते हैं। नोट: 04 N.C. Admin. Code 24C .0209 के अनुसार, सुनवाई खत्म होने के बाद अपील रेफरी किसी भी पक्ष या गवाह के साथ मामले पर चर्चा नहीं कर सकते।

रोजगार सुरक्षा कानून की एक प्रति मैं कहां से प्राप्त कर सकता हूं?

रोजगार सुरक्षा कानून North Carolina General Statutes के अध्याय 96 में देखा जा सकता है। DES की प्रशासनिक नियमावली, North Carolina Administrative Code के शीर्षक 4, अध्याय 24 में देखा जा सकता है। आप शासी कानून की एक प्रति निम्न पर भी देख सकते हैं, DES वेबसाइट www.des.nc.gov पर,

मुख्य संपर्क नंबर

ग्राहक कॉल सेंटर (दावेदार) - 888-737-0259

नियोक्ता कॉल सेंटर - 866-278-3822

यदि आप जिस निर्धारण के लिए दावा दायर कर रहे हैं एक भिन्न DES कार्य इकाई का नाम और नम्बर को सूचीबद्ध करता है, तो अपील अनुभाग से जानकारी प्राप्त करने से पहले उस इकाई से संपर्क करें।

Appeals Section
Division of Employment Security
North Carolina Department of Commerce
Post Office Box 25903
Raleigh, NC 27611-5903
Telephone: 919-707-1060
Facsimile: 919-733-1228
Email: des.public.appeals@nccommerce.com
Website: www.des.nc.gov

North Carolina वाणिज्य विभाग द्वारा प्रकाशित
अधिक जानकारी के लिए www.des.nc.gov को देखें
Form NCDES 568-E (Rev.. 4/2017)

प्रशासनिक सुनवाई कार्यालय वेबसाइट www.oah.state.nc.us/rules, या http://reports.oah.state.nc.us/ncac.asp पर

अपील के स्तर - दावे